हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 89

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2015/9 भाद्रपद, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने नियम-130 के तहत तीन अलग-अलग बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे लेकिन उनमें से एक विषय को भी चर्चा के लिए नहीं रखा गया है। इसके साथ ही श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने अलग विषय उठाते हुए कहा कि शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2015 को माननीय सदन में राजकीय महाविद्यालय, संजौली में शर्मनाक घटना के विषय को लेकर जो पक्ष और विपक्ष में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री को सदन में माफी मांगनी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा उनके आरोपों का खंडन करने तथा विपक्ष द्वारा सदन में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा माफी मांगने की बात पर ज़ोर देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनज़र विपक्ष ने पूर्वाह्न 11.45 बजे सदन से वॉक आउट किया।

11.45.00 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 2431, 2433, 2435, 2437, 2441, 2444, 2447 व 2448 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2432, 2434, 2436, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443, 2403, 2445 व 2446 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2449 से 2469 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 से 1070 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00.00 PM

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 31 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग-। (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)ए(3)-2/2014 दिनांक 13.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग-I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः गृह(जी)ए(3)-1/2014 दिनांक 21.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2014-15 ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के सूचना का अधिकार एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(4) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 65(I) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; और

(ii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी ।

12.08.00 PM

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति के **74वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 98वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **75वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 99वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **47वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(3) **श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल की अनुपस्थिति के कारण नियम-62 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण हेतु नहीं रखा गया ।

12.15.00 PM

6. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 25 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 19) पारित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया किया कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 21) को परित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक17) को परित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक17) पारित हुआ।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 18) को परित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 18) पारित हुआ।

(v) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 20) को परित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।

12.30.00 PM

7. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

नियम 324 के अन्तर्गत कुल 13 विषय लगे थे लेकिन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनके विषय सदन में नहीं रखे गए। श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य की ओर से नियम 324 के अन्तर्गत विषय उठाया गया समझा गया तथा सम्बन्धित मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया गया समझा गया।

माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियम-63 और नियम-130 के अन्तर्गत विषय चर्चा हेतु नहीं रखे गए।

विधान सभा के मॉनसून सत्र की समाप्ति पर सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके सचिवालय को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा काम किया है। मुद्दों पर चर्चा करना लोकतंत्र का आवश्यक अंग है। किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई उसको इश्यू नहीं बनाता।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सत्र के समापन पर निम्न शब्दों में अपने उद्‌गार प्रकट किए :

दिनांक 28 अगस्त, 2015 को जो कुछ सदन में हुआ उस पर मुझे अत्यन्त खेद है। संसदीय जीवन में उच्चतम परम्पराएं बनाए रखने के लिए सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभा में और सभा के बाहर आचरण का निश्चित स्तर बनाए रखें। उनका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सदन और उसके सभी सदस्यों की गरिमा बढ़े। माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभा की बैठक के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करे ताकि सदन में संसदीय शिष्टाचार को बनाए रखा जा सके। किसी भी सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह सदन के किसी दूसरे सदस्य के विरूद्ध व्यक्तिगत एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करे। सभी माननीय सदस्यों को संसदीय भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके व्यवहार से सदन की गरिमा बनी रहे और उनका अपना मान-सम्मान भी बना रहे। मेरा सभी सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि सदन में नियमों की परिधि में रहकर ही अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि नियमों के उल्लंघन से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है और सदन की अवमानना होती है उस स्थिति में मुझे मज़बूर होकर नियमों की अनुपालना में कार्रवाई करनी पड़ती है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे सदन की उच्चतम परम्पराओं का सम्मान करते हुए सदन के पालनीय नियमों के अन्तर्गत ही भविष्य में सदन की कार्यवाही में भाग लें।

आज मॉनसून सत्र का अन्तिम दिन है। इस सत्र की कुल 7 बैठकें आयोजित हुईं। इन बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वादविवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा के विषय उठाए और जो- सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

नियम-62, 63 के अन्तर्गत क्रमशः 2-3 विषयों पर चर्चा की गई। नियम-101 के अन्तर्गत चार गैरसरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर दो - संकल्पों पर सार्थक चर्चा की गई तथा एक संकल्प अगले सत्र के लिए प्रेषित किया गया।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

इस सत्र के दौरान कुल मिला कर 317 तारांकित तथा 126 अतांरिकत प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

8 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित हुए एवं सभा द्वारा पारित : किए गए।

नियम 324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 15 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गई।

सभा की समितियों ने भी 29 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपनेअपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज़ - भी सभा पटल पर रखे, वे भी बधाई के पात्र हैं।

अन्त में मैं आप सभी का धन्यवादी हूं कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेष तौर पर माननीय सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवादी हूं। उन्होंने इस सदन के संचालन में पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन किया।

सदन के संचालन में सरकार व विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात सेवाएं दी वे प्रशंसनीय है। पत्रकार ,बन्धुओं ने भी सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाईवे भी बधाई के पात्र है। ,

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूंइस , अपने -सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीयगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 12.50 बजे माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई)